



समक्षा:- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वा लयर कम्पसागर म. प्र. G.F.R

R-3845-J114

169

2014

छेदी पिता दरई जाति अहिरवार
साकिन जोरतला कला, तह पथरिया,
जिला-दमोह, म. प्र.,

पुनरीक्षणकर्ता

//विरुद्ध//

जोदा पिता हरिया उर्फ हरिराम जाति अहिरवार,
निवासी- जोरतला कला, तह पथरिया जिला दमोह,
म. प्र.,

उत्तरदाता

रि. क्रं.

प्रस्तुति दि 27/10/014

पुनरीक्षण निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. स.

यह पुनरीक्षण याचिका अधिस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय
अधिकारी पथरिया के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/014
अपी. प्र. क्र. 16 अ/06, 13-14, जोदा विरुद्ध छेदी व अन्य, में पारित
उक्त आदेश से झुंझा होकर वैधानिक सारवान तथ्यों पर अग्रलिखित
अनुसार प्रस्तुत करता है:-

/// मामले के तथ्य ///

इस प्रकार हैं कि, पुनरीक्षणकर्ता उत्तरवादी ने ग्राम जौजा
जोरतला, तह पथरिया जिला दमोह म. प्र. के ड. नं. 430, 434, रकबा
क्रमशः 0.52, 0.23 कुल रकबा 0.75 हे., भूमि को जरिए ~~प्रतिष्ठित~~
~~है~~ संशोधन-पंजी क्रं. 33 दिनांक 20/08/1996,
से अनुसार मालिक, काबिज हुआ था। और पुनरीक्षणकर्ता उक्त दिनांक
से ही निरंतर उपरोक्त संशोधन पंजी के बटवारा प्रवृष्टि नामांतरण
से काबिज मालिक है। उत्तरदाता से पारिवारिक बुराईवश बाद
में उत्तरदाता ने असत्य आधारों पर उक्त संशोधन पंजी. को निरस्त
कराने बावत तथ्यहीन गलत आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी
पथरिया के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की है कि, उत्तरदाता का एक

श्री हरीश चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत
अर्थात्
कार्यालय कमिश्नर, सागर तम्बाग,
सागर (म. प्र.)

152
28-10-14

श्रीमान् सुभाष
जाधव
30/10/14

17-11-14

3

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3845-एक/2014

जिला दमोह

छेदी

विरुद्ध

खोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-8-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जेन0 सदस्य 8/3/19</p>